



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकारका उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt of Uttar Pradesh Undertaking)

Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow-226001

शक्तिभवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001,

फोन-0522-2287787, फैक्स-0522-2287789

संख्या-3536-औ०सं०/2024-11(04)ए०एस०/2023(टी०सी०-1)

दिनांक: 11 नवम्बर 2024

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1564-औ०सं०/पाकालि/2017-11(5)ए०एस०/11 दिनांक 27 मार्च, 2017, कार्यालय ज्ञाप सं०-1725-औ०सं०-17/2023-11(30)ए०एस०/2004 दिनांक 25 अप्रैल, 2023 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-3860-औ०सं०-17/पाकालि/2023-11(28)ए०एस०/04 दिनांक 24 अगस्त, 2024 द्वारा सामान्य एवं हृदय, ब्रेन, गेस्ट्रो, किडनी, कैंसर, ज्वाइन्ट रिप्लेसमेन्ट सर्जरी, मिससेलनियस एवं एक्सीडेन्टल इन्जरी के कैंशलेस उपचार हेतु फेलिक्स हेल्थकेयर प्रा०लि०, नोएडा को मान्यता प्रदान की गयी है, तथा आदेश संख्या-340-औ०सं०-17/पाकालि/2024-11(01)ए०एस०/09 (2023-24) दिनांक 29 जनवरी 2024 द्वारा 30.04.2026 तक मान्यता बढ़ाई गयी है।

फेलिक्स हेल्थकेयर प्रा०लि०, नोएडा द्वारा कारपोरेशन कार्मिकों के कैंशलेस उपचार के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत की प्रारम्भिक जाँच एवं परीक्षण हेतु गठित समिति द्वारा की गयी जाँच रिपोर्ट में कैंशलेस उपचार में बरती गयी अनियमितताओं के दृष्टिगत एतद्वारा फेलिक्स हास्पिटल, नोएडा से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही तत्काल प्रभाव से स्थगित करते हुए फेलिक्स हास्पिटल, नोएडा की सामान्य एवं कैंशलेस उपचार की मान्यता जाँच की कार्यवाही पूर्ण होने तक आस्थगित (Kept in Abeyance) की जाती है।

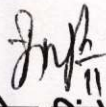
अध्यक्ष

संख्या : 3536 (1)औ०सं०-2024 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०/एस०एल०डी०सी०लि०, के निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि० एवं केस्को, वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा एवं कानपुर।
4. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)/वित्त/वितरण/वाणिज्य/कारपोरेट प्लानिंग/आई०टी०, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, के निजी सचिव शक्ति भवन लखनऊ।
5. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०) उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०/उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि० के निजी सचिव, शक्ति भवन लखनऊ।
6. अपर सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (हाईडिल), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं प्रशासन)/(निधि प्रबन्ध), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
9. समस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त/प्रशासन/कारपोरेट टैक्स), उप मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
10. महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (औ०सं०)/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र०पा०का०लि०।

11. समस्त संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/अनुभाग अधि०, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
13. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
15. अधिशाली अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन विस्तार को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
16. प्रबन्धक, फैलिकस हेल्थकेयर प्रा०लि०, एन०एच०-01, सेक्टर-137, नोएडा।
17. सचिव, विद्युत पेन्शनर्स परिषद (उ०प्र०), 103, कीर्ति अपार्टमेन्ट, स्टेशन रोड, लखनऊ।
18. कट फाइल।


(लोकेन्द्र सिंह)
वरि० कार्मिक अधिकारी